



143

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र. दृ.

/2016/निगरानी

R 4069-I-16

दिनांक प्रो. दृ. श. प्राप्त  
कर्मा कर्ता दिनांक  
29-11-16 का ३२५८  
29-11-16

623  
29-11-16

O.P.Sharma  
Adv.  
29-11-16

- १-श्रीमती हल्की बाई किला पत्नी जगन्नाथ  
२-देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बैबन्नाथ सिंह  
३-लोकेन्द्र सिंह पत्रेरा फूजस्बंजालापासी

## वारिसान -

१। कुड़ी पत्नी स्व. लोकेन्द्र

२। योगेन्द्र पुत्र स्व. लोकेन्द्र

३। तिमरन पुत्री स्व. लोकेन्द्र

४। अंकित पुत्र स्व. लोकेन्द्र

निवासीगण - ग्राम चिराई तहसील व जिला

जिला - ग्वालियर बूलेश्वर ग्राम पदाड़ी

तहसील व जिला मुरेना मोरो

.....प्रार्थीगण

## बनाम

१-महिलाकुवर देवी पत्नी तथा कथित

स्व. जगन्नाथ पत्रेरा - वारिसान

२। महावीरा

३। सुरेश

४। भ्रा पुत्रगण तथा कथित स्व.

जगन्नाथ समस्त निवासीगण -

ग्रामपदाड़ी तहसील व जिला मुरेना मोरो

५। श्रीमती किमला मुरी तथा कथीत


जगन्नाथ पत्नी श्रीटाम्बी नाल.

नि. ग्रामपदाड़ा तहसील व जिला मुरेना

६। श्रीमती मुरेश पुत्री तथा कथित जगन्नाथ

पत्नी श्री रामवीर निवासी - पूर्णर

१



परगना व जिला मुरेना म040

.... असत्प्रतिष्ठार्थीगण

6- रमेश

7- गोपाल

8- पप्पू पुत्रगण स्व. बदन सिंह

9- देवो

10- शीला

11- भैरव

12- मन्तो उर्फ़ मुड़ी पुत्रीका स्व. बदनसिंह

सिंह समस्त निवासीका जाम पहाड़ी

तहसील व जिला मुरेना म040

... तरबीबी प्रतिष्ठार्थीगण

प्रार्थनापत्र निगरानीअन्तर्भृत धारा 50 मध्य0भू. रा. संहिता

विस्तृ न्यायालय ससड़ीओ मुरेना के आदेश दिनीक 29. 9. 16

पारित प्रकरणक्रमांक 28/2011-12/अपील

महोदय,

श्रीमान प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निगरानी निम्न  
आधारो परप्रस्तुत है :-

- 1- यह कि श्रीमान अधिकारी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवारण  
न्यायालय अपर तहसीलवार बान्धोर जिला मुरेना का नामांतरण  
आदेश यथावत न कर छात्यावर्तित किये जाने में विधि एवं प्राव-  
धानो का उल्लंघन किया है इस कारण अपील में पारित आदेश  
निरर्णेत किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि प्रार्थीगण मृतक बगनाय छोटे सिंह पुत्र शीहरविलास के


..... 2

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4067-एक/16

ज़िला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-10-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-10-19 को कलेक्टर, ज़िला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	 प्रशासकीय सदस्य